

सं. ई-11011/1/2020-हिन्दी/ 185

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 27 जून, 2022

कार्यालय जापन

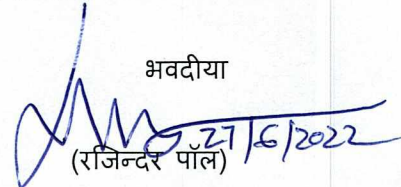
विषय: दिनांक 20.05.2022 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दक्षिणी दिल्ली-2) की बैठक का कार्यवृत्त से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में, दिनांक 20.05.2022 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ.महोदय, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), निदेशक (प्रशासन) तथा उप निदेशक (रा.भा.) ने भाग लिया इस बैठक के कार्यवृत्त की निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. हिन्दी पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।
2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम-5 का पूर्णतः पालन किया जाए।
3. नराकास की बैठक में विभागाध्यक्ष स्वयं भाग लें। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष का बैठक में भाग लेना संभव नहीं हो तो उनके स्थान पर भाग लेने वाले वरिष्ठतम अधिकारी के संबंध में नराकास के सदस्य सचिव को बैठक से पहले सूचित किया जाना अपेक्षित है।

अतः आयोग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि नराकास बैठक के उक्त कार्यवृत्त के अनुपालन हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को अवगत कराया जाए।

भवदीया


(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 011-29583720

सभी अनुभाग/निदेशालय, के.ज.आ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, नदी प्रबंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना के निजी सचिव
3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
4. सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव
5. निदेशक (प्रशासन), के.ज.आ. के निजी सचिव
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास, दक्षिणी दिल्ली-2